"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)
## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 147 ] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 17 अप्रैल 2018 — चैत्र 27, शक 1940

### गृह विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 मार्च 2018

### अधिसूचना

क्रमांक एफ–13–01/दो–गृह/न0से0/2015. – भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ अग्निशमन, आपातकालीन तथा राज्य आपदा मोचन बल (एस. डी. आर. एफ.) (राजपत्रित) सेवा के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

### नियम

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.– (1) ये नियम छत्तीसगढ़ अग्निशमन, आपातकालीन तथा राज्य आपदा मोचन बल (एस. डी. आर. एफ.) (राजपत्रित) सेवा भर्ती एवं पदोन्नति नियम, 2018 कहलायेंगे।

   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।

   (3) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.– इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

   (क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;

   (ख) "आयोग" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग;

   (ग) "समिति" से अभिप्रेत है विभागीय चयन/पदोन्नति हेतु चयन समिति, जैसा कि अनुसूची–पांच में विनिर्दिष्ट है;

   (घ) "परीक्षा" से अभिप्रेत है इन नियमों के नियम 11 के अधीन आयोजित प्रतियोगी परीक्षा;

   (ङ) "शासन" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;

   (च) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;

   (छ) "अन्य पिछड़े वर्ग" से अभिप्रेत है राज्य शासन द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ–8–5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

   (ज) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(झ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

(ञ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

(ट) "सेवा" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ अग्निशमन, आपातकालीन तथा राज्य आपदा मोचन बल (एस. डी. आर. एफ.) (राजपत्रित) सेवा;

(ठ) "राज्य" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य।

3. विस्तार तथा लागू होना.– छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. सेवा का गठन.– सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात्:–

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय, अनूसूची–एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल रूप से या स्थानापन्न हैसियत से धारण कर रहे हों;

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किए गये हों; और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गये हों।

5. वर्गीकरण तथा वेतनमान इत्यादि.– सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या और उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची–एक में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार होंगे:

परन्तु शासन, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा वेतनमान में, समय–समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर, वृद्धि या कमी कर सकेगा तथा तद्नुसार अनुसूची–एक संशोधित समझी जायेगी।

6. भर्ती का तरीका.– (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात् :–

(क) प्रतियोगी परीक्षा अथवा मेरिट के आधार पर चयन के माध्यम से, सीधी भर्ती द्वारा;

(ख) विभाग के राजपत्रित एवं अराजपत्रित सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मूल हैसियत में धारण करते हों, जैसा कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये।

(2) उप–नियम (1) के खण्ड (क), (ख) या (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची–एक में यथा विनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के, अनुसूची–दो में विनिर्दिष्ट प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनायी जाने वाली भर्ती का तरीका या तरीके तथा ऐसे तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर शासन द्वारा आयोग के परामर्श से अवधारित की जाएगी।

(4) उप–नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि शासन की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो शासन, आयोग से परामर्श पश्चात्, सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़ जिनको उक्त उप–नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगा, जिसे शासन द्वारा इस निमित्त जारी किए गये आदेश द्वारा विहित किया जाये।

(5) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के प्रावधान तथा उक्त अधिनियम के अधीन शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।

(6) उप–नियम (1) के खण्ड (क) के अधीन प्रतियोगी परीक्षा की चयन प्रक्रिया में नियम 8 के खण्ड (तीन) में यथा विनिर्दिष्ट शारीरिक योग्यता हेतु मानदण्ड भी समाविष्ट होंगे।

7. सेवा में नियुक्ति.– इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में समस्त नियुक्तियाँ, शासन द्वारा की जायेंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।

8. सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्तें.– सीधी भर्ती/चयन हेतु पात्र होने के लिए, अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात्:–

(एक) आयु– (क) वर्ष, जिसमें पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित होता है, की जनवरी के प्रथम दिन को अभ्यर्थी ने अनुसूची–तीन के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो।

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) का हो, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिए भी, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों अथवा रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगी:–

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये;

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी/स्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, कार्यभारित कर्मचारियों, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी।

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी, जो "छंटनी किया गया शासकीय सेवक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गयी सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण– शब्द "छंटनी किये गये शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्हीं भी संघटक इकाइयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(ड.) ऐसा अभ्यर्थी, जो "भूतपूर्व सैनिक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण– शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसकी किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के परिणामस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी की गई हो अथवा जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो, अर्थात् :–

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आऊट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो, और जिन्हें–

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;

(ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो;

(3) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो, (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित हैं);

(4) ऐसे भूतपूर्व सैनिक/अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर 6 माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो;

(5) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो;

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे अब दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं;

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(च) अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अधीन अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(छ) शहीद राजीव पांडे सम्मान, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ज) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।

(झ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नॉन कमीशंड अधिकारियों के मामले में, उनके द्वारा इस प्रकार की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिये, उच्चतर आयु सीमा में, 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

टीप–(1) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें नियम 8 (घ) (एक) एवं (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो, यदि वे आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात्, या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तो वे नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छंटनी कर दी जाती हो, तो वे पात्र बने रहेंगे।

(2) किसी भी अन्य मामले में ये आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जायेंगी। विभागीय अभ्यर्थियों को चयन हेतु उपस्थित होने के लिए, नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।

(ञ) शासकीय सेवा में प्रवेश करने हेतु उपरोक्त किसी एक या एक से अधिक संवर्गों के आधार पर छूट प्रदान करने के उपरांत अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(ट) उपरोक्त के अतिरिक्त, आयु सीमा के संबंध में, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

(दो) शैक्षणिक अर्हताएं एवं अनुभव – अभ्यर्थी के पास सेवा के लिये यथा विहित शैक्षणिक अर्हताएं एवं अनुभव होना चाहिए, जैसा कि अनुसूची–तीन में दर्शित है।

(तीन) शारीरिक दक्षता/अर्हतायें – अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित शारीरिक दक्षता/अर्हतायें होना चाहिये और उन्हें इस संदर्भ में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा,–

(क) ऊंचाई – 168 से.मी. या अधिक (केवल पुरूष अभ्यर्थियों के लिये)

155 से.मी. या अधिक (केवल महिला अभ्यर्थियों के लिये)

(ख) सीना– बिना फुलाये 84 से.मी. और फुलाने पर 89 से.मी. तथा सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में दोनों के बीच का अन्तर न्यूनतम 5 सेमी. का होना चाहिये तथा इस संबंध में कोई छूट नहीं दी जायेगी। महिला अभ्यर्थियों के संबंध में सीने का माप आवश्यक/अपेक्षित नहीं है।

(ग) अभ्यर्थियों में किसी प्रकार की शारीरिक निःशक्तता नही होनी चाहिए।

(घ) अभ्यर्थी को सामान्य नेत्र दृष्टि से योग्य होना चाहिये तथा दृष्टि जांच में अल्प दृष्टि नहीं होना चाहिये। उसकी समस्त रंगों के प्रति स्पष्ट दृष्टि होना चाहये। उसे चिकित्सीय दृष्टि से योग्य होना चाहिये तथा कोई अक्षमता नहीं होना चाहिये। उसे श्रवणता बाधित नहीं होना चाहियें।

(चार) फीस :— (क) अभ्यर्थी को आयोग द्वारा यथा विहित फीस का भुगतान करना होगा।

(ख) उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें चिकित्सा मंडल के समक्ष उपस्थित होने के लिए अपेक्षित किया गया हो, चिकित्सीय परीक्षा के पूर्व चिकित्सा मंडल के अध्यक्ष को ऐसी फीस का भुगतान करना होगा जैसा कि शासन द्वारा समय—समय पर विहित की जाए।

9. निरर्हता.— (1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, आयोग द्वारा चयन हेतु निरर्हित माना जा सकेगा।

(2) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो शासन, ऐसे अभ्यर्थियों को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(3) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ, तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो से मुक्त, घोषित न कर दिया जाये:

परन्तु आपवादिक मामलों में अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।

(4) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी सम्यक् जांच, जैसा कि वह आवश्यक समझे, के पश्चात, यह समाधान हो जाये कि वह (अभ्यर्थी) ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है।

(5) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे नैतिक अधोपतन से संबंधित किसी अपराध के लिये सिद्धदोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों, तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जायेगा, जब तक कि उस आपराधिक मामले का न्यायालय द्वारा अंतिम विनिश्चय न कर दिया जाए।

(6) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

10. अभ्यर्थियों की पात्रता के बारे में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा.— (1) चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में, आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे परीक्षा/साक्षात्कार हेतु आयोग द्वारा प्रवेश प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(2) चयन प्रक्रिया के किसी समय पर अथवा शासन को चयन सूची भेजने के बाद भी, यदि आयोग के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पायी गई है, तो वह निरर्हित हो जायेगा एवं उसका चयन/नियुक्ति, आयोग द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।

11. प्रतियोगी परीक्षा/चयन/साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती.— (1) सेवा में भर्ती के लिये चयन ऐसे अंतरालों पर आयोजित की जायेगी, जैसा कि शासन, आयोग के परामर्श से, समय—समय पर अवधारित करे।

(2) प्रतियोगी परीक्षा, शासन द्वारा आयोग के परामर्श से समय—समय पर जारी पाठ्यक्रम, परीक्षा योजना तथा निर्देशों के अनुसार आयोग द्वारा आयोजित की जायेगी।

(3) सेवा में अभ्यर्थियों का चयन ऐसी रीति से की जायेगी जैसा कि आयोग द्वारा अवधारित किया जाये।

(4) सेवा में भर्ती के समय छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) के लिए आरक्षण अधिनियम, 1994 (कमांक 21 सन् 1994) के उपबंध तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस अधिनियम के अधीन समय—समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।

(5) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिये 30 प्रतिशत पदों को आरक्षित रखा जायेगा। यह आरक्षण समस्तर और प्रभागवार होगा।

(6) उपरोक्त के अतिरिक्त निःशक्त/भूतपूर्व सैनिकों के लिये पदों को, शासन द्वारा समय–समय पर बनाये गये अधिनियम/नियम/जारी किये गये आदेश/निर्देश के अनुसार आरक्षित रखा जायेगा।

(7) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, ऐसे अभ्यर्थियों, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) के सदस्य हैं, की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(8) उपरोक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी जो महिला/निःशक्त/भूतपूर्व सैनिक हैं और जिन्हें आरक्षण के फलस्वरूप चयन किया गया है, की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(9) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों, जिन्हें उनकी प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा नियुक्ति के लिये पात्र घोषित किया गया हो, को उप–नियम (7) के अनुसार, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(10) ऐसे मामलों में, जहाँ सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और शासन की राय में यह पाया जाता है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) से संबंधित अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) के अभ्यर्थियों के संबंध में अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा।

12. आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची.– (1) आयोग, उन अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में व्यवस्थित एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्हित हों जैसा कि आयोग द्वारा अवधारित किया जाये तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों की एक सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए आयोग द्वारा उपयुक्त घोषित किये गये हों एवं प्रत्येक प्रवर्ग के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों की जो महिला/निःशक्त/भूतपूर्व सैनिक के प्रवर्ग में आरक्षण के फलस्वरूप चयनित किये जायें, उनके मेरिट क्रम से चयन सूची तैयार करेगी, जिसकी नियुक्ति हेतु वैधता, शासन को सूची के भेजे जाने की तिथि से एक वर्ष की होगी।

(2) उप–नियम (1) के अधीन इस प्रकार तैयार की गई सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिये आयोग की वेबसाइट पर अधिसूचित की जायेगी।

(3) आयोग द्वारा रिक्त पदों को भरने के लिये प्रत्येक प्रवर्ग हेतु एक चयन सूची तैयार की जायेगी, ऐसे अभ्यर्थियों के लिये एक प्रतीक्षा सूची भी बनाई जायेगी, जिसमें न्यूनतम एक नाम तथा रिक्त पदों के अधिकतम 25 प्रतिशत तक नाम सम्मिलित होंगे। सूची की वैधता, शासन को ऐसे चयन सूची भेजे जाने की तिथि से डेढ़ वर्ष की होगी।

स्पष्टीकरण– प्रत्येक प्रवर्ग में रिक्त पदों की 25 प्रतिशत तक आंकलन करने के लिए, इसे पूर्णांक में लाने हेतु, अंक को अगले पूर्णांक तक बढ़ा दिया जायेगा।

(4) आयोग, उप–नियम (1) के अधीन तैयार की गई चयन सूची, शासन को नियुक्ति के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रेषित करेगा। तथापि, प्रतिक्षा सूची से नियुक्ति, आयोग की सहमति के बिना नहीं की जा सकेगी।

(5) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों।

(6) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति के लिये कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि शासन का ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(7) कोई अभ्यर्थी, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित है, वैधता अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने या त्यागपत्र देने या किन्ही कारणों से वह अयोग्य पाये जाने पर या वैधता अवधि के दौरान चयनित अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर, आयोग द्वारा प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों के नाम नियुक्ति हेतु अनुशंसित किये जा सकेंगे।

(8) यदि प्रतिक्षा सूची से अभ्यर्थियों के नाम भेजे जाने के लिये शासन से अनुरोध प्राप्त होता है तो आयोग, उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार, प्रतीक्षा सूची से नाम, अनुशंसित करेगा तथा इसे शासन को भेजेगा।

(9) शासन से प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् आयोग, शासन को विधिमान्य कारणों का कथन करते हुए अधिकतम 6 माह के लिये चयन सूची की वैधता अवधि में वृद्धि कर सकेगा।

(10) चयन सूची की वैधता अवधि में 6 माह की वृद्धि किए जाने पर, प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि में 6 माह की स्वतः वृद्धि होना माना जायेगा।

(11) उप–नियम (9) एवं (10) के अधीन तैयार की गई चयन सूची की वैधता में, आयोग द्वारा तब तक कोई वृद्धि नहीं की जायेगी, जब तक कि शासन, युक्तियुक्त कारण का कथन करते हुए वृद्धि करने हेतु कोई अनुशंसा नहीं करता।

13. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.– (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिए, एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें अनुसूची–चार में उल्लिखित सदस्य सम्मिलित होंगे:

परन्तु इस उप–नियम के अधीन, समिति के गठन के लिए, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंधों का भी अनुसरण किया जाएगा।

(2) समिति की बैठक ऐसे अन्तरालों में होगी, जो साधारणतः एक वर्ष से अधिक न हो।

(3) प्रत्येक पदोन्नति, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों तथा मॉडल रोस्टर के अनुसार होगी।

(4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रक्रिया, उप–नियम (3) तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगी।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन– नियुक्ति प्राधिकारी, अपने द्वारा जारी किए जाने वाले पदोन्नति आदेश पर, इस आशय के प्रमाणपत्र का पृष्ठांकन करेगा कि उसने छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) तथा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में जारी निर्देशों तथा राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियमों का पालन किया है तथा उसने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान लिया है।

14. पदोन्नति के लिये पात्रता की शर्तें.– (1) उप–नियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए समिति, उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, उन पदों में, जिनसे पदोन्नति की जानी है जैसा कि अनुसूची–चार के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट है अथवा शासन द्वारा उसके समतुल्य घोषित किन्हीं अन्य पद या पदों पर (चाहे मूल रूप में या स्थानापन्न रूप में), उतने वर्षों की सेवा, जैसा कि अनुसूची–चार के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है, पूर्ण कर ली हो तथा जो उप–नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र के भीतर आते हों।

स्पष्टीकरण– पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति– संबंधित वर्ष, जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की कालावधि की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष से की जाएगी, जिसमें लोक सेवक, फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया हो और संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं।

(2) (एक) ऐसे मामलों में जहां पदोन्नति वरिष्ठता सह उपयुक्तता (सीनियारिटी कम फिटनेस) के आधार पर या अनुपयुक्त व्यक्ति को छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर की जानी हो, वहां सभी वर्गो के लिए विचारण हेतु कोई आधार नही होगा। केवल लोक सेवकों की ऐसी संख्या के प्रस्तावों पर वरिष्ठता के अनुसार विचार किया जायेगा, जो की प्रत्येक प्रवर्ग में विद्यमान तथा एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति/पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्त पदों की संख्या को भरने के लिए प्रर्याप्त होगी।

(दो) ऐसे मामलों में जहां पदोन्नति योग्यता सह वरिष्ठता (मेरिट कम सीनियारिटी) आधार पर की जानी हो वहां विचारण क्षेत्र, कुल रिक्त पदो के दो गुने से चार अधिक होगा। यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शासकीय सेवक पदोन्नति के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों, तो विचारण क्षेत्र में कुल रिक्त पदों के 7 गुने तक वृद्धि की जा सकेगी तथा आरक्षित पदों की पूर्ति, उपरोक्त उल्लिखित विचारण क्षेत्र में आये आरक्षित वर्ग के व्यक्तियों से की जा सकेगी। समिति, उक्त विचारण क्षेत्र से प्रत्येक प्रवर्ग के अधीन विद्यमान तथा 1 वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त तथा पदोन्नति के कारण प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए विचार करेगी।

(3) उप–नियम (2) के अधीन प्रत्याशित रिक्तियों के अतिरिक्त उपरोक्त अवधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए, दो लोक सेवकों के या चयन सूची में सम्मिलित लोक सेवकों की संख्या के 25 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, के नाम चयन सूची में सम्मिलित करने के उद्देश्य से प्रत्येक प्रवर्ग के लिए अपेक्षित संख्या में लोक सेवकों के नाम पर विचार किया जायेगा।

(4) शासन द्वारा विहित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की जायेगी।

(5) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अन्य प्रावधान तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेश पदोन्नति हेतु लागू होंगे।

15. उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना.– (1) समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपर्युक्त नियम 14 में विहित शर्तो को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझा गया हो। यह सूची, चयन सूची के तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी। इसके अतिरिक्त उक्त अवधि के दौरान होने वाले अप्रत्याशित रिक्त स्थानों को भरने के लिये एक आरक्षित सूची तैयार की जायेगी, जिसमें प्रत्येक प्रवर्ग से 1 एवं न्यूनतम 25 प्रतिशत तक नाम सम्मिलित होंगे।

(2) उपयुक्त अधिकारियों की सूची, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार तैयार की जायेगी।

16. आयोग से परामर्श.– (1) नियम 15 के अनुसार तैयार की गई सूची, शासन द्वारा निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आयोग को भेजी जायेगीः–

(एक) सूची में सम्मिलित समस्त व्यक्तियों के अभिलेख।

(दो) अनुसूची–चार के कॉलम (2) में उल्लिखित समस्त सदस्यों के अभिलेख जिसका सूची में यथा अनुशंसित अवक्रमण किया जाना प्रस्तावित है।

(तीन) अनुसूची–चार के कॉलम (2) में यथा उल्लिखित सेवा के किसी सदस्य के प्रस्तावित अवक्रमण के लिए समिति के लेखबद्ध कारण।

(चार) समिति की अनुशंसाओं पर शासन की टिप्पणियां।

(2) यदि पदोन्नति समिति में आयोग का अध्यक्ष या कोई सदस्य, जो अध्यक्ष/आयोग द्वारा नामांकित किया गया हो, उपस्थित रहे हों तथा यदि बैठक की कार्यवाही विवरण पर, अध्यक्ष सहित समिति के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर हों तो उप–नियम (1) के अधीन उपर्युक्त कार्यवाही अपेक्षित नहीं होगी तथा यह माना जायेगा कि संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के उप–खण्ड (ख) के अधीन आयोग से परामर्श करने संबंधी अपेक्षा का अनुपालन किया गया है तथा आयोग के साथ पृथक परामर्श करने की आवश्यकता नहीं होगीं।

17. चयन सूची.– (1) आयोग शासन से प्राप्त दस्तावेजों के साथ–साथ समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करेगा, यदि आयोग की राय हो कि इसमें कोई परिवर्तन करना आवश्यक नहीं है तो वह सूची को अनुमोदित करेगा।

(2) यदि आयोग, शासन से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझता है तो आयोग, प्रस्तावित परिर्वतनों के संबंध में शासन को सूचित करेगा तथा इस पर विचार करने के पश्चात यदि शासन कोई मत प्रकट करे तो ऐसे मत पर ध्यान देते हुए, ऐसे उपांतरणों सहित, यदि कोई हो, जो उसकी राय में न्यायोचित तथा उपयुक्त हो, सूची को अंतिम रूप से अनुमोदित करेगा।

(3) आयोग द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित सूची अनुसूची–चार के कॉलम (2) में उल्लिखित पदों से अनुसूची–चार के कॉलम (3) में यथा उल्लिखित सिविल सेवाओं के सदस्यों की पदोन्नति के लिये अनुमोदित चयन सूची होगी।

(4) चयन सूची की वैधता, इसके तैयार किये जाने की तारीख से 31 दिसंबर से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

18. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.– (एक) चयन सूची में सम्मिलित अधिकारियों की सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्ति में उसी क्रम का अनुपालन किया जायेगा, जिस क्रम में ऐसे अधिकारियों के नाम चयन सूची में आये हों।

(दो) साधारणतः उस अधिकारी की, जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित हो, नियुक्ति के पूर्व समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा, जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ जाये, जो शासन की राय में, सेवा में नियुक्ति के लिये उसे अनुपयुक्त सिद्ध करती हो।

19. परिवीक्षा.– (1) (क) सेवा में सीधी भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

(ख) परिवीक्षा की कालावधि के दौरान, यदि कार्य असंतोषजनक पाया जाता है, तो परिवीक्षा की अवधि अधिकतम 1 वर्ष तक की कालावधि के लिये नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा बढ़ायी जा सकेगी।

(ग) परिवीक्षा की अवधि या बढ़ायी गई कालावधि के दौरान या परिवीक्षा अवधि के अंत में, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय हो कि कोई विशेष अभ्यर्थी, अधिकारी बनने के योग्य नहीं है, तो ऐसे परिवीक्षाधीन की सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

(2) सेवा में पदोन्नति से भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, 2 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर स्थानापन्न हैसियत से नियुक्त किया जायेगा।

20. निर्वचन.– यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता हो, तो उसे राज्य शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका निर्णय अंतिम होगा।

21. शिथिलीकरण.– इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती हैः

परंतु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा, जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो।

22. निरसन एवं व्यावृत्ति.– (1) इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं:

परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

(2) इन नियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये राज्य शासन द्वारा समय–समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार उपबंधित अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**विजय कुमार धुर्वे**, संयुक्त सचिव.

नया, रायपुर, दिनांक 28 मार्च 2018

क्रमांक एफ–13–01/दो–गृह/न0से0/2015. – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक–एफ 13–01/दो– गृह/न0से0/2015, दिनांक 28 मार्च 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**विजय कुमार धुर्वे**, संयुक्त सचिव.

## अनुसूची—एक
(नियम 5 देखिये)

| स.क | सेवा में सम्मिलित पदों के नाम | पदों की कुल संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स | टिप्पणियां |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | अतिरिक्त प्रधान सेनानी, होम गार्ड्स (डीआईजी रैंक) | 01 | प्रथम श्रेणी | वेतन मैट्रिक्स लेवल— 16 | |
| 2. | पुलिस अधीक्षक | 01 | ..तदैव.. | वेतन मैट्रिक्स लेवल— 14 | |
| 3. | निदेशक, ट्रेनिंग / आपरेशन (एस.पी. रैंक) | 02 | ..तदैव.. | वेतन मैट्रिक्स लेवल— 14 | |
| 4. | वरिष्ठ स्टॉफ ऑफिसर, होम गार्ड | 01 | ..तदैव.. | वेतन मैट्रिक्स लेवल— 14 | |
| 5. | वरिष्ठ तकनीकी अग्निशमन अधिकारी | 02 | द्वितीय श्रेणी | वेतन मैट्रिक्स लेवल— 12 | |
| 6. | अग्निशमन अधिकारी तकनीकी अधिकारी | 02 | ..तदैव.. | वेतन मैट्रिक्स लेवल— 12 | |
| 7. | जिला सेनानी / डीएसपी | 12 | ..तदैव.. | वेतन मैट्रिंक्स लेवल— 12 | |
| 8. | चिकित्सा अधिकारी | 01 | ..तदैव.. | वेतन मैट्रिक्स लेवल— 12 | |
| 9. | लेखा अधिकारी | 01 | ..तदैव.. | वेतन मैट्रिक्स लेवल— 12 | |
| 10. | विधि अधिकारी | 01 | ..तदैव.. | वेतन मैट्रिक्स लेवल— 12 | |
| 11. | कनिष्ठ स्टॉफ ऑफिसर | 01 | ..तदैव.. | वेतन मैट्रिक्स लेवल— 12 | |

## अनुसूची—दो
(नियम 6 देखिये)

| स. क्र. | सेवा का नाम | कर्तव्य पदों की संख्या | भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत | | | टिप्पणियां |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | सीधी भर्ती द्वारा (नियम 6(1) (क) देखिये) | पदोन्नति द्वारा (नियम 6(1) (ख) देखिये) | अन्य सेवाओं से व्यक्ति के स्थानांतरण / प्रतिनियुक्ति द्वारा (नियम 6(1) (ग) देखिये) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | अतिरिक्त प्रधान सेनानी, होम गार्ड्स, (डीआईजी रैंक) | 01 | — | 100% | — | नगर सेना विभाग से प्रतिनियुक्ति पर |
| 2. | पुलिस अधीक्षक | 01 | — | — | 100% | पुलिस विभाग से प्रतिनियुक्ति पर |
| 3. | निदेशक, ट्रेनिंग / आपरेशन (एस.पी. रैंक) | 02 | — | 100% | — | पदोन्नति हेतु अनुपलब्धता की स्थिति में, अन्य सेवाओं से प्रतिनियुक्ति द्वारा पद भरे जायेंगे। |
| 4. | वरिष्ठ स्टॉफ ऑफिसर, होम गार्ड्स | 01 | — | 100% | — | नगर सेना विभाग से प्रतिनियुक्ति पर |
| 5. | वरिष्ठ तकनीकी अग्निशमन अधिकारी | 02 | — | 100% | — | पदोन्नति हेतु अनुपलब्धता की स्थिति में, अन्य सेवाओं से प्रतिनियुक्ति द्वारा पद भरे जायेंगे। |
| 6. | अग्निशमन अधिकारी तकनीकी अधिकारी | 02 | 50% | 50% | — | —तदैव— |
| 7. | जिला सेनानी / डीएसपी | 12 | — | — | 100% | नगर सेना / पुलिस विभाग से प्रतिनियुक्ति पर |
| 8. | चिकित्सा अधिकारी | 01 | — | — | 100% | चिकित्सा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर |
| 9. | लेखा अधिकारी | 01 | — | — | 100% | वित्त विभाग से प्रतिनियुक्ति पर |
| 10. | विधि अधिकारी | 01 | — | — | 100% | लोक अभियोजन विभाग से प्रतिनियुक्ति पर |
| 11. | कनिष्ठ स्टॉफ ऑफिसर | 01 | — | — | 100% | नगर सेना विभाग से प्रतिनियुक्ति पर |

## अनुसूची–तीन
(नियम 8 देखिये)

| स. क्र. | सेवा / पद का नाम | न्यूनतम आयु सीमा | उच्चतर आयु सीमा | विहित शैक्षणिक अर्हता |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | अग्निशमन अधिकारी तकनीकी अधिकारी | 21 वर्ष | 28 वर्ष | किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एस.सी. / बी.ई. (अग्निशमन) डिग्री होना चाहिये |

टीपः–(1) ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ राज्य के वास्तविक निवासी हैं के लिए, उच्चतर आयु सीमा, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, समय–समय पर, जारी किये गये निर्देशों के अनुसार शिथिलनीय होगी ।

(2) अभ्यर्थी को संविदा आधार पर नियुक्ति के लिये पात्र होने हेतु नेशनल फायर सर्विस कॉलेज से डिविजनल ऑफिसर कोर्स उत्तीर्ण होना चाहिये तथा फायर सर्विस कार्य में 07 वर्ष का अनुभव एवं स्टेशन ऑफिसर के रूप में 03 वर्ष अनुभव और भारी वाहन चालन का लायसेंस भी होना चाहिये।

## अनुसूची–चार
(नियम 14 तथा 15 देखिये)

| स. क्र. | सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है | सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है | आगामी उच्चतर पद के लिए पदोन्नति हेतु पात्र होने के लिये अपेक्षित न्यूनतम कालावधि | विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | वरिष्ठ स्टॉफ ऑफिसर / सेनानी / संभागीय सेनानी, होम गार्ड्स | अतिरिक्त प्रधान सेनानी, होम गार्ड्स, (डीआईजी रैंक) | 06 वर्ष | 1. अध्यक्ष, छत्तीसगढ लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा नामांकित कोई सदस्य – अध्यक्ष.<br>2. प्रमुख सचिव, गृह –सदस्य.<br>3. महानिदेशक (होम गार्ड्स) –सदस्य. |
| 2. | वरिष्ठ तकनीकी अग्निशमन अधिकारी / अग्निशमन तकनीकी अधिकारी / कनिष्ठ स्टाफ ऑफिसर आफीसर | निदेशक, प्रशिक्षण / ऑपरेशन / वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर | 06 वर्ष का अनुभव एवं नेशनल फायर कॉलेज से डिविजनल ऑफिसर का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिये | 1. प्रमुख सचिव, गृह – अध्यक्ष.<br>2. महानिदेशक (होम गार्ड्स) –सदस्य.<br>3. शासन द्वारा नामांकित महानिरीक्षक / अतिरिक्त प्रधान सेनानी –सदस्य. |
| 3. | निरीक्षक / स्टेशन ऑफिसर / क्यूएम (कंपनी कमाण्डर इंस्पेक्टर रैंक) / एमटीओ / कनिष्ठ तकनीकी अग्निशमन अधिकारी | वरिष्ठ तकनीकी अग्निशमन अधिकारी / अग्निशमन अधिकारी तकनीकी अधिकारी | 06 वर्ष का अनुभव एवं नेशनल फायर कॉलेज से स्टेशन ऑफिसर का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिये | 1. अध्यक्ष, छत्तीसगढ लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा नामांकित कोई सदस्य – अध्यक्ष.<br>2. प्रमुख सचिव, गृह –सदस्य.<br>3. महानिदेशक (होम गार्ड्स) –सदस्य. |

Naya Raipur, the 28th March 2018

NOTIFICATION

No. F-13-01/2-grih/N.S./2015. — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following rules relating to the Chhattisgarh Fire Service, Emergency and State Disaster Response Force (S.D.R.F.) (Gazetted) Services, namely :-

RULES

1. Short title, extent and commencement.- (1) These rules shall be called the Chhattisgarh Fire Service, Emergency and State Disaster Response Force (S.D.R.F.) (Gazetted) Service Recruitment and Promotion Rules, 2018.

(2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.

(3) These rules shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Appointing Authority" in respect of services means the Government of Chhattisgarh;

(b) "Commission" means the Chhattisgarh Public Service Commission;

(c) "Committee" means a selection committee meant for departmental selection/ promotion as specified in Schedule-IV;

(d) "Examination" means a competitive examination held under rule 11 of these rules;

(e) "Government" means the Government of Chhattisgarh;

(f) "Governor" means the Governor of Chhattisgarh;

(g) "Other Backward Classes" mean the Other Backward Classes of citizens as specified vide Notification No F-8-5/25/4/84, dated 26th December,1984 as amended from time to time by the Government;

(h) "Schedule" means Schedule appended to these rules;

(i) "Scheduled Castes" means the Scheduled Castes as specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India;

(j) "Scheduled Tribes" mean the Scheduled Tribes as specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution of India;

(k) "Services" means the Chhattisgarh Fire Service, Emergency and State Disaster Response Force (S.D.R.F.) (Gazetted) Services;

(l) "State" means State of Chhattisgarh.

3. Scope and application.- Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of the Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service.

4. Constitution of the service.- The service shall consist of the following persons, namely:-

(1) Persons, who at the commencement of these rules are holding the post specified in Schedule-I substantively or in officiating capacity;

(2) Persons, who have been recruited in the service prior to the commencements of these rules; and

(3) Persons, who have been recruited in the service according to the provisions of these rules.

5. Classification, scale of pay, etc.- The classification of the service, the number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto shall be as specified in Schedule-I:

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts included in the service either on a permanent or temporary basis and accordingly the Schedule-I shall be deemed to be amended.

6. Method of recruitment.- (1) After the enforcement of these rules, the recruitment in service shall be carried out in the following manners, namely:-

(a) By direct recruitment, through competitive examination or selection on the basis of merit;

(b) By promotion of members of Gazetted and Non-Gazetted Services of the Department;

(c) By transfer or deputation of persons, who hold in a substantive capacity such post in such services, as may be specified in this behalf.

(2) The number of persons recruited under clause (a), (b) or (c) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage specified in Schedule-II of the number of duty posts specified in Schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service, as may be required to be filled during any particular period of recruitment, and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined by the Government in consultation with the Commission.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of Government the exigencies of the service so require, the Government may after consultation with the Commission, adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order in this behalf, prescribe.

(5) At the time of recruitment to the service, the provision of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhada Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No.21 of 1994) and instructions issued, from time to time, under the said Act by the General Administration Department of the Government shall apply.

(6) The selection procedure of the competitive examination under clause (a) of sub-rule (1) shall also consist of criteria for physical fitness as specified in clause (three) of rule 8.

7. Appointment in the service. - After the commencement of these rules, all appointment to the service shall be made by the Government and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. Conditions of eligibility for direct recruitment.- In order to be eligible for direct recruitment/selection, a candidate must satisfy the following conditions, namely:-

(I) Age - (a) Candidate must have attained the age as specified in column (3) of Schedule-III and must not have attained the age as specified in column (4) of the said Schedule on the 1st day of January of the year in which the advertisement for the post is published;

(b) The upper age limit shall be relaxable up to maximum of 5 years, if a candidate belongs to a Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer);

(c) For woman candidates, the upper age limit shall be relaxable up to maximum of 10 years as per the provisions of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provisions for Appointment of Women's) Rules, 1997;

(d) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates who are or have been employees of the Chhattisgarh Government to the extent and subject to the condition specified below :-

(i) A candidate, who is a permanent or temporary Government Servant should not be more than 38 years of age;

(ii) A candidate, holding a post temporarily and applying for any other post should not be more than 38 years of age. This concession shall also be admissible to the work charged employees, contingency paid employees and employees working in the Project Implementing Committees;

(iii) A candidate, who is a "retrenched Government servant" shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 years;

Explanation:-The term "retrenched Government servant" denotes a person who was in temporary Government Service of this State or of any of the constituent units for a continuous period of not less than 6 months and who was discharged because of reduction in establishment not more than 3 years prior to the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in the Government service.

(e) A candidate, who is an "ex-servicemen" shall be allowed to deduct from his age the period of all Defence Service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 years;

Explanation:-The term "ex-servicemen" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than 6 months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the economy unit or due to normal reduction in establishment not more than 3 years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in the Government service :—

(1) Ex-servicemen released under mustering out concessions;

(2) Ex-servicemen enrolled for the second time and discharged of-

(a) completion of short term engagement;

(b) on fulfilling the conditions of enrollment.

(3) Ex-servicemen (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including Short Service Regular Commissioned Officers);

(4) Ex-servicemen/Officers discharged after working for more than 6 months continuously against leave vacancies;

(5) Ex-servicemen invalided out of service;

(6) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;

(7) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gun-shot, wounds, etc.

(f) The upper age limit shall be relaxable up to 5 years in respect of awarded superior caste partner of a couple under the Inter-caste Marriage Incentive Scheme under Untouchability Eradication Rules, 1984;

(g) The upper age limit shall also be relaxable up to 5 years in respect of Shahid Rajiv Pandey Award, Gundadhur Award, Maharaja Praveerchand Bhanjdeo Award holder candidates and National Youth Award holders young candidates;

(h) The general upper age limit shall not be relaxable up to 38 years of age in respect of candidates who are the employees of the Chhattisgarh State Corporations/Boards;

(i) The upper age limit shall be relaxed in the case of voluntary Home Guards and Non-Commissioned Officers of Home Guards for the period of Home Guard service rendered so by them subject to the limit of 8 years, but in no case their age should exceed 38 years;

Note:-(1) The candidates who are admitted to the examination/ selection under the age concession mentioned in rule 8(d) (i) and (ii) above shall not be eligible for appointment if after submitting the application, they resign from service either before or after taking the examination/selection. They shall, however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or posts after submitting the applications.

(2) In no other case these age limit shall be relaxed. The departmental candidates must obtain previous permission of the Appointing Authority to appear for the selection.

(j) After providing relaxation on the basis of any or more of the above category for entering in Government service the maximum age limit must not exceed 45 years;

(k) Apart from above in respect of age limit, the direction issued by General Administration Department of the Government, from time to time shall also be applicable.

(II) Educational qualifications and experience — The candidate must possess the educational qualifications and experience as prescribed for the service as shown in Schedule III.

(III) Physical Fitness/Qualifications- The candidates must possess the following physical fitness/ qualifications and they have to submit an affidavit in this context,–

(a) Height- 168 c.m. or more (for male candidates only)

155 c.m. or more (for female candidates only)

(b) Chest- 84 c.m. without expansion and 89 c.m. with expansion and the difference between expansion and without expansion should be the difference of minimum 5 c.m. and no any relaxation shall be given in this context. Measurement of chest in respect of female candidates is not essential/required.

(c) The candidate should not be physically handicapped.

(d) The candidate should be fit with normal eye-sight and should not have low sight in vision test and should have clear vision towards all the colors. She/ he should be medically fit and should not have any disability. She/he should not have any hearing problem.

(IV) Fees-(a) The candidate must pay the fees prescribed by the Commission.

(b) The candidate who has been required to appear before Medical Board must pay the fees as prescribed by the Government to the Chairman of Medical Board before medical test.

9. Disqualification. – (1) Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Commission disqualified for selection.

(2) Any male candidate, who is having more than one living wife and any female candidate who has married a man, who is already having a living wife, shall not be eligible for appointment in any service or post:

Provided that if the Government is satisfied that there were specific reasons for doing so then the Government may give relaxation in the enforcement of this rule to such candidates.

(3) Candidate shall not be appointed to any service or post until he/ she is declared mentally or physically fit and free from any mental or physical default, which can hinder the fulfillment of duty of any service or post, in such medical examination as may be prescribed:

Provided that in exceptional cases a candidate may be given temporary appointment on any service or post before his medical examination under a condition that, if he is found medically unfit, then his services may be terminated immediately.

(4) Candidate shall not be eligible on such condition to any service or post, if the Appointing Authority is satisfied that, after due enquiry, which is considered necessary, he/she is not fit for such service or post.

(5) Any candidate, who is convicted for any offence relating to moral turpitude shall not be eligible for any service or post:

Provided that if such matter is pending in a court against the candidate, then matter of his appointment shall be kept in abeyance till the criminal matter is finally determined by the court.

(6) Any candidate, who is married, before the minimum age fixed for marriage shall not be eligible for any service or post.

10. Commission's decision about the eligibility of candidates shall be final.- (1) The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for selection shall be final and candidate, to whom a certificate of admission has not been issued by the Commission for examination/interview, shall not be allowed to appear in the examination/interview.

(2) At any time of selection process or even after submission of selection list to the Government, if it comes to notice of the Commission that a candidate has given wrong information or any misinformation is found in the documents submitted by him, then he shall be disqualified and his selection/appointment shall be terminated by the Commission.

11. Direct recruitment by Selection/Competitive Examination/ Interview. - (1) The selection for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Government may, in consultation with the Commission, from time to time, determine.

(2) The competitive examination shall be conducted by the Commission as per syllabus, examination plan and directions issued by the Government on consultation with the Commission, from time to time.

(3) The selection of the candidates to the service shall be made in such manner as may be determined by the Commission.

(4) At the time of recruitment in the service the provision of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyan, Anusuchit Janjatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the directions issued under this Act by the General Administration Department of the Government from time to time shall be applicable.

(5) There shall be 30 percent reserved posts for women candidates in accordance with the provision of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997. The reservation shall be Horizontal and Comportment-wise.

(6) In addition to above, the posts for person with disability/ex-servicemen shall be reserved in accordance with the Act/ Rule/Order/Instructions issued by the Government from time to time.

(7) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(8) In addition to above the candidates who may be women/person with disability/ ex-servicemen and who is selected consequent to reservation, shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12, irrespective of their relative rank as compare with other candidates.

(9) Those candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer), who are declared eligible for appointment by the Commission keeping in view of their administrative efficiency, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) as per the sub-rule (7) as the case may be.

(10) In such cases, where experience of certain period has been prescribed as an essential condition for the posts to be filled in, by direct recruitment and it is found in the opinion of the Government that there is a possibility of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) may not be available in sufficient number, the Competent Authority may relax the condition of experience to the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer).

12. List of Candidates selected by the Commission.- (1) The Commission shall prepare a list arranged in the order of merit of the candidates, who have qualified by such standards as determine by the Commission and the list of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer), who may not be qualified by that standard, but are declared to be suitable by the Commission for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in administration and the list of candidates of each category belonging to

women, persons with disability/ex-servicemen in the order of merit of the candidates who have qualified by such standards due to reservation, whose validity for appointment shall be one year from the date of sending the list to the Government.

(2) List so prepared under sub-rule (1) shall be notified on the Commission's website for information to the general public.

(3) A select list for each category shall be prepared by the Commission for filling the vacant posts, for such categories a waiting list shall also be prepared in which minimum one name and maximum names upto 25% of the vacant posts shall be included. The validity of the list shall be for one and half year from the date of sending of such select list to the Government.

Explanation- While calculating 25% vacant posts in each category, to make it an integer, decimal number shall be extended to the next integral number.

(4) Commission shall forward the selection list prepared under sub-rule (1) to the Government for further action regarding appointment. However, appointment from the waiting list cannot be made without the consent of the Commission.

(5) Subject to the provisions of these rules and of the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Services) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(6) The inclusion of candidates name in the list confers no right to appointment unless the Government is satisfied, after such enquiry, as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

(7) Any candidate, whose name is included in the selection list, do not join the duty within the valid period or resigns or for any reason he is found unfit or the selected candidate dies during the valid period, the name of candidate from the waiting list can be recommended by the Commission for appointment.

(8) If a request is being received from the Government asking to send names of the candidates from waiting list, then the Commission, as per the above provisions, shall recommend the names from the waiting list and send it to the Government.

(9) The Commission after receiving the proposal from the Government, can extend the validity period of selection list for a maximum period of 6 months by stating valid reason to the Government.

(10) On extending the validity period of waiting list for 6 months, the validity period of waiting list shall automatically deem to be extended for 6 months.

(11) The validity of selection list, prepared under sub-rule (9) and (10), shall not be extended by the Commission unless the Government makes any recommendation stating valid reason for extension.

13. Appointment by promotion. - (1) There shall be a Committee consisting of the members mentioned in Scheduled-IV for making a preliminary selection for promotion of eligible candidates:

Provided that for the purpose of constitution of the Committee under this sub-rule, provisions of Section 8 of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam,1994 (No 21 of 1994) shall also be adhered to.

(2) The Committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding one year.

(3) Every promotion shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and as per model roaster.

(4) The procedure for making promotion in the reserved vacancies shall be made in accordance with sub-rule (3) and the instructions issued by the General Administrative Department of the Government from time to time.

(5) Certification by the Appointing Authority - Appointing Authority shall endorse on the promotion order to be issued by him a certificate to the effect that he had complied with the provisions of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhede Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and the instructions issued in the light of the provisions of the said Act and the rules framed by the State Government and that he has taken full cognizance of the provisions of sub-section (1) of Section 6 of the said Act.

14. Conditions of eligibility for promotion.- (1) Subject to the provisions of sub-rule (2), the Committee shall consider the cases of all persons who on first day of January of that year had completed such number of years of service as specified in column (4) of Schedule-IV (whether officiating or substantive) in the posts, from which promotion is to be made as specified in column (2) of Schedule-IV or on any other post or posts declared equivalent thereto by the Government and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (2).

Explanation - Method of computation for eligibility of promotion – The calculation of the period of qualifying service on the 1st day of January of the relevant year in which Departmental Promotion Committee/Scrutiny Committee is convened, shall be counted from the calendar year in which public servant has joined the feeder cadre/part of service/pay scale of the post and not from the date of joining of the cadre/part of service/pay scale of the post.

(2) (i) In such cases where promotion is to be given on seniority cum fitness basis or on seniority basis leaving unsuitable candidate, there will be no grounds for consideration for all categories. Proposals of such number of public servants shall only be considered as per seniority that shall be sufficient for filling the existing posts in each category and number of expected vacant post due to retirement/promotion during 1 year.

(ii) In such cases where promotion is to be made on merit cum seniority basis, the area for consideration shall be four more than two times of the total vacant posts. If the sufficient number of Government servants in Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not available for promotion then the area of consideration may extend upto 7 times of the total vacant posts and filling up of reserved post may be made from the persons belonging to reserved category above mentioned area of consideration. Committee shall consider to fill the vacancies existing under each category in said area of consideration and the anticipated vacancies on account of retirement and promotion the course of 1 year.

(3) To fill up the unexpected vacancies during the said duration in addition to the expected vacancies under sub-rule (2), for the purpose of inclusion of names of two public servant or upto 25% of number of public servant to be included in the select list, whichever is more, in the select list, the name of the public servants shall be considered in requisite numbers for each cadre.

(4) Promotion shall be made as per Reservation Roster prescribed by the Government.

(5) Other provisions of the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and the order issued by the General Administration Department of Government from time to time shall be applicable for promotion.

15. Preparation of list of suitable candidates. - (1) The Committee shall prepare a list of such persons as satisfy the condition prescribed in rule 14 above and are held by the Committee to be suitable for promotion to the service. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirements and promotion during the course of one year from the date of preparation of the select list. In addition to this a reserve list shall be prepared, which shall consist of one and minimum 25% in each category, to fill the unexpected vacancies during the said period.

(2) The list of suitable officers shall be prepared as per the provision of the Chhattisgarh Lok Sewa (Promotion) Rules, 2003.

16. Consultation with the Commission - (1) The list prepared in accordance with Rule 15 shall be sent to the Commission by the Government along with following documents :-

(i) the records of all persons included in the list.

(ii) the records of all those persons mentioned in column (2) of Schedule-IV, who are proposed for supersession as recommended in the list.

(iii) the recorded reasons of the committee for the proposed supersession of any member of the service as mentioned in column (2) of Schedule-IV.

(iv) the remarks of the Government on the recommendations of the Committee.

(2) If the Chairman of the Commission or any member who is nominated by the Chairman/Commission is present in the promotion committee and if all members of the committee including Chairman have signed on the proceeding of the meeting then the above action under sub-rule (1) is not required and it shall be deemed to be compliance of the requirement of the consultation with the Commission under sub-clause (b) of clause (3) of Article 320 of the Constitution and a separate consultation with the Commission shall not be necessary.

17. Select List.- (1) The Commission shall consider over the list along with the documents received from the Government, prepared by the Committee, if in the opinion of the Commission that there is no need of making any changes then it shall approve the list.

(2) If the Commission considers it necessary to make any changes in the list received from the Government, then the Commission shall inform the Government of the changes proposed and if the Government expresses any opinion after considering it then it shall make, keeping in mind such opinion, such modifications, if any, which in its opinion is just and proper, and shall approve the list finally.

(3) The select list finally approved by the Commission shall be approved select list for promotion of the members of the civil services as mentioned in column (3) of Schedule-IV from the posts mentioned in column (2) of Schedule-IV.

(4) The validity of select list shall not be extended beyond 31st December from the date of its preparation.

18. Appointment to the service from the select list. -(i) The appointments of the officers including in the select list to post borne on the cadre of the service shall follow the order in which the name of such officers appears in the select list.

(ii) It shall not ordinarily be necessary to consult the Commission before appointment of an officer whose name is included in the select list of the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of proposed appointment there occurs any deterioration in his work, which in the opinion of the Government is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

19. Probation. - (1) (a) Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

(b) During the period of probation, if work is found unsatisfactory, then the period of probation can be extended by the Appointing Authority for a further period of maximum 1 year.

(c) During the period of probation or period extended or at the end of probation period, if the Appointing Authority is of the opinion that any particular candidate is not fit to be an officer, then the services of such probationer can be terminated.

(2) Every person recruited by promotion to the service shall be appointed on probation in officiating capacity for a period of 2 years.

20. Interpretation.- If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the State Government, whose decision thereon shall be final.

21. Relaxation.-Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules may apply in such manner as may appear to it to be just and proper:

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favorable to him than that provided in these rules.

22. Repeal and saving.- (1) All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of such matters covered by these rules:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

(2) Nothing in these rules shall effect reservation and other concession provided to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the State Government, from time to time, in this regards.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VIJAY KUMAR DHURVE, Joint Secretary.

SCHEDULE - I
(See rule 5)

| S. No. | Name of post included in the service | Total number of posts | Classification | Pay Matrix | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Additional Commandant General, Home Guards (DIG Rank) | 01 | Class- I | Pay Matrix Level-16 | |
| 2. | Superintendent of Police | 01 | ..do.. | Pay Matrix Level-14 | |
| 3. | Director, Training /Operation (S.P. Rank) | 02 | ..do.. | Pay Matrix Level-14 | |
| 4. | Senior Staff Officer, Home Guard | 01 | ..do.. | Pay Matrix Level-14 | |
| 5. | Senior Technical Fire Officer | 02 | Class- II | Pay Matrix Level-12 | |
| 6. | Fire Officer Technical Officer | 02 | ..do.. | Pay Matrix Level-12 | |
| 7. | District Commandant/ DSP | 12 | ..do.. | Pay Matrix Level-12 | |
| 8. | Medical Officer | 01 | ..do.. | Pay Matrix Level-12 | |
| 9 | Accounts Officer | 01 | ..do.. | Pay Matrix Level-12 | |
| 10. | Law Officer | 01 | ..do.. | Pay Matrix Level-12 | |
| 11. | Junior Staff Officer | 01 | ..do.. | Pay Matrix Level-12 | |

SCHEDULE-II
(See rule 6)

| S. No. | Name of Service | Number of Duty Post | Percentage of number of the posts to be filled in | | | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | By Direct Recruitment {See Rule 6 (1) (a)} | By Promotion {See Rule 6 (1) (b)} | By Transfer/ deputation of person from other services {See Rule 6 (1 ) (c)} | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Additional Commandant General, Home Guards (DIG Rank) | 01 | -- | 100% | - | On Deputation from Home Guards Department |
| 2. | Superintendent of Police | 01 | -- | --- | 100% | On Deputation from Police Department |
| 3 | Director, Training/ Operation (S.P. Rank) | 02 | -- | 100% | -- | In case of non-availability for promotion, the post shall be filed by deputation from other services. |
| 4 | Senior Staff Officer, Home Guards | 01 | -- | 100% | - | On Deputation from Home Guards Department |
| 5. | Senior Technical Fire Officer | 02 | -- | 100% | - | In case of non-availability for promotion, the post shall be filed by deputation from other services. |
| 6. | Fire Officer Technical Officer | 02 | 50% | 50% | - | ....do... |
| 7. | District Commandant/ DSP | 12 | -- | -- | 100% | On Deputation from Home Guards/ Police Department |
| 8. | Medical Officer | 01 | -- | -- | 100% | On Deputation from Health Department |
| 9 | Accounts Officer | 01 | -- | -- | 100% | On Deputation from Finance Services |
| 10 | Law Officer | 01 | -- | -- | 100% | On Deputation from Public Prosecution Department |
| 11 | Junior Staff Officer | 01 | -- | -- | 100% | On deputation from Home Guards Department |

SCHEDULE-III
(See rule 8)

| S. No. | Name of Service/Posts | Minimum Age Limit | Upper Age Limit | Prescribed educational qualification |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Fire Officer Technical Officer | 21 years | 28 years | Should have B.Sc./B.E. (Fire) degree from any recognized University |

Note : (1) The upper age limit shall be relaxable, for the candidates who are bonafide resident of State of Chhattisgarh, as per instruction issued by the General Administration Department, from time to time.

(2) The candidate should have passed Divisional Officers Course from National Fire Service College to be eligible for appointment on contractual basis and have 07 years of experience in Fire Service Works and 03 years of experience as a Station Officer and also have Heavy Vehicle Driving License.

SCHEDULE-IV
(See rule 14 and 15)

| S.No. | Name of service or Post from which Promotion to be made | Name of service or Post to which Promotion is to be made | Minimum Period required to qualifying for promotion to the next Higher Post | Departmental Promotion committee |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Senior Staff Officer/ Commandant/ Divisional Commandant, Home Guards | Additional Commandant General, Home Guards (DIG rank) | 06 years | 1. Chairman, Chhattisgarh Public Service Commission or any member as nominated by him - Chairman<br>2. Principal Secretary, Home - Member<br>3 Director General (Home Guards) - Member |
| 2. | Senior Technical Fire Officer / Fire Officer Technical Officer/ Junior Staff Officer | Director, Training/ Operation / Senior Staff Officer | 06 year experience and have passed Divisional Officers Course from National Fire College | 1. Principal Secretary, Home - Chairman<br>2. Director General (Home Guards) - Member<br>3. Inspector General/Additional Commandant General nominated by Government - Member |
| 3. | Inspector/ Station Officer/QM (Company Commander Inspector Rank)/MTO/ Junior Technical Fire Officer | Senior Technical Fire Officer / Fire Officer Technical Officer | 06 year experience and have passed Station Officer Course from National Fire College | 1 Chairman, Chhattisgarh Public Service Commission or any member as nominated by him. - Chairman<br>2 Principal Secretary, Home - Member<br>3. Director General (Home Guards) - Member |

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2018.